संख्या-39/2022/467/सैंतीस-2-2022-1(2)/2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 अप्रैल, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-03/बजट/29(5)/30/13/2022-23, दिनांक-04.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-40541.81 लाख (रूपये चार अरब पाँच करोड़ इक्तालिस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	धनराशि (लाख में)
01-वेतन	28485.91
02-मजदूरी	20.00
03-मंहगाई भत्ता	10539.79
04-यात्रा व्यय	20.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.33
06-अन्य भत्ते	8.33
07-मानदेय	1.00
08-कार्यालय व्यय	3.48
09-विद्युत देय	200.00
10-जलकर/जलप्रभार	100.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.05
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	2.22
13-टेलीफोन पर व्यय	5.10
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.67
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	25.00
18-प्रकाशन	0.17
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.17
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00
29-अनुरक्षण	7.33
39-औषधि तथा रसायन	83.33
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2.00
42-अन्य व्यय (मतदेय)	33.33
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	133.33
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.67
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	15.17
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.67
49-चिकित्सा व्यय	136.67
51-वर्दी व्यय	0.32
55-मकान किराया भत्ता	662.27
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.67
योग-	**40541.81**

(रूपये चार अरब पाँच करोड़ इक्तालिस लाख इक्यासी हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
2. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
3. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	015	2403000010300 निदेशालय	01 वेतन	2,84,85,91,000 (undefined)
2	015	2403000010300 निदेशालय	02 मजदूरी	20,00,000 (undefined)
3	015	2403000010300 निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	1,05,39,79,000 (undefined)
4	015	2403000010300 निदेशालय	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (undefined)
5	015	2403000010300 निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,33,000 (undefined)
6	015	2403000010300 निदेशालय	06 अन्य भत्ते	8,33,000 (undefined)
7	015	2403000010300 निदेशालय	07 मानदेय	1,00,000 (undefined)
8	015	2403000010300 निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	3,48,000 (undefined)
9	015	2403000010300 निदेशालय	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (undefined)
10	015	2403000010300 निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,00,000 (undefined)
11	015	2403000010300 निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,05,000 (undefined)
12	015	2403000010300 निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,22,000 (undefined)
13	015	2403000010300 निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	5,10,000 (undefined)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
14	015	2403000010300 निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40,00,000 (undefined)
15	015	2403000010300 निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	67,000 (undefined)
16	015	2403000010300 निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,00,000 (undefined)
17	015	2403000010300 निदेशालय	18 प्रकाशन	17,000 (undefined)
18	015	2403000010300 निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	17,000 (undefined)
19	015	2403000010300 निदेशालय	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	33,000 (undefined)
20	015	2403000010300 निदेशालय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,00,000 (undefined)
21	015	2403000010300 निदेशालय	29 अनुरक्षण	7,33,000 (undefined)
22	015	2403000010300 निदेशालय	39 औषधि तथा रसायन	83,33,000 (undefined)
23	015	2403000010300 निदेशालय	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2,00,000 (undefined)
24	015	2403000010300 निदेशालय	42 अन्य व्यय	33,33,000 (undefined)
25	015	2403000010300	43	1,33,33,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
		निदेशालय	सामग्री एवं सम्पूर्ति	(undefined)
26	015	2403000010300 निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (undefined)
27	015	2403000010300 निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (undefined)
28	015	2403000010300 निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15,17,000 (undefined)
29	015	2403000010300 निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,67,000 (undefined)
30	015	2403000010300 निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	1,36,67,000 (undefined)
31	015	2403000010300 निदेशालय	51 वर्दी व्यय	32,000 (undefined)
32	015	2403000010300 निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	6,62,27,000 (undefined)
33	015	2403000010300 निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,67,000 (undefined)
कुल				**4,05,41,81,000 (undefined)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसम्बर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-39/2022/467(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।